14

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहापुर,तहसील :पुवायाँ
वाद सख्या :-00978/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812610200978
गुरु तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट दवारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम बण्डा परगना व तहसील पुवायाँ

गुरू तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी सरदार बचन सिंह एजूकेशन सोसाइटी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर द्वारा तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट पुवायाँ रोड बण्डा द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर द्वारा धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्रार्थना पत्र पर वाद योजित हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.405 हे0 को अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से जाँच आख्या मंगाई गयी।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जाँच आख्या दिनॉक–16.02.2018 न्यायालय में उपलब्ध कराई तहसीलदार पुवायाँ की आख्या में अंकित किया है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.405 हे0 में वाउन्ड्री तथा पैरा मेडिकल इंस्टीयूट का निर्माण कार्य चल रहा है इस कारण भूमि को अन्तर्गत अकृष्ण घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी। सहखातेदार द्वारा वादी के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है और वादी के पक्ष में में समर्थन प्रस्तुत कर रहे है। वादग्रस्त भूमि को अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही होगी। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में पैरा मेडिकल कौसिंल ऑफ इण्डिया का पत्र सं0 102/3/018 दिनॉक–19.05.2018 दाखिल किया गया है। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त अन्य किसी की ओर से कोई आपत्ति नही आयी। वर्तमान में वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी वार्षिक मूल्यांकन सूची दिनॉक–01.08.2017 के आधार पर 1 प्रतिशत अंकन 14,588/– चालान सं0 25 दिनॉक–23.02.2018 को भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा पुवायाँ में जमा किया जा चुका है।

मैनें पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं पत्रावली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 जो सरदार बचन सिंह एजूकेशन सोसाइटी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर द्वारा तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट पुवायाँ रोड बण्डा द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है जिसमें ग्राम बण्डा की गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.405 हे0 पर वाउन्ड्री तथा पैरा मेडिकल इंस्टीयूट का निर्माण कार्य चल रहा है। वादी द्वारा भूमि को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनॉक–16.02.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है कि:–

आदेश

अतः न्यायहित में ग्राम स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.405 हे0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सब रजिस्ट्रार पुवायाँ को पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक– 23/5/18

असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर

24.5.18

जारी करने वाले के हस्ताक्षर
प्रार्थना दिनांक 23-5-18
प्रार्थी का नाम सुलक्खन सिंह
तैयारी का दि0 24-5-18
स्टाम्प सं0/रू0 07.00 (सात रुपया)
जारी का दि0 24-5-18

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहापुर,तहसील :पुवायाँ
वाद सख्या :-04062/2018
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201812610204062
सरदार वचन सिह एजुकेशनल सोसाइटी प्रबन्धक सुलक्खन सिह बनाम सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम– बण्डा
परगना व तहसील पुवायाँ

सरदार वचन सिह एजूकेशनल सोसाइटी प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक सुलक्खन सिंह पुत्र जोगा सिह निवासी रनमस्तपुर बुजुर्ग तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर ने धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850/0.930 है0 मे से 0.525 है0 को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से जाँच आख्या मंगाई गयी।

तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जाँच आख्या दिनॉक–24.07.2018 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.525 है0 पर स्कूल परिसर की वाउन्ड्री के अन्दर प्रार्थना स्थल/खेल का मैदान हेतु खाली है। भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। स्कूल का प्रार्थना स्थल, खेल परिसर के रूप में प्रयोग हो रहा है। जिसे राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मैनें पत्रावली पर रक्षित ग्राहय साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनॉक–24.07.2018 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.525 है0 पर स्कूल परिसर की वाउन्ड्री के अन्दर प्रार्थना स्थल/खेल का मैदान हेतु खाली है। भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। स्कूल का प्रार्थना स्थल, खेल परिसर के रूप में प्रयोग हो रहा है तथा मौके पर कृषि कार्य नही हो रहा है। इस कारण भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनॉक–24.07.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है:–

आदेश

अतः न्यायहित में ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.525 है0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सब रजिस्ट्रार पुवायाँ को पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक– 13-08-2018

असिस्टैंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
18-8-18

जारी करने वाले के हस्ताक्षर
प्रमाण दिनांक 16.8.18
प्रार्थी 84 दिन 16.8.18
तैयारी का दि0 16.8.18
निष्पादन सं0 2532
जारी का दि0 18.8.18